

FPI के FDI में पुनर्वर्गीकरण हेतु RBI ढाँचा

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** ने वदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अपने निवेश को **प्रत्यक्ष वदेशी निवेश (FDI)** में परिवर्तित करने की अनुमति देने हेतु एक ढाँचा प्रस्तुत किया है।

इस फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग:** कुल पेड-अप इक्विटी के 10% से अधिक निवेश करने वाले किसी भी वदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के पास अपनी होल्डिंग्स को बेचने या ऐसी होल्डिंग्स को **FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत** करने का विकल्प दिया गया है।
 - किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पेड-अप इक्विटी पूंजी का 10% या उससे अधिक (10% से कम को वदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) माना जाता है)।
 - FDI का आशय भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा **पूंजीगत साधनों** के माध्यम से किया गया निवेश है।
 - **किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में या**
- **समय पर पुनर्वर्गीकरण:** पुनर्वर्गीकरण, लेनदेन (जसिके परिणामस्वरूप 10% से अधिक सीमा का अनुसरण होता है) से पाँच कारोबारी दिनों के अंदर पूरा होना चाहिये।
- **अनुपालन आवश्यकताएँ:** FPI को वदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण उपकरणों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 (FEM (NDI) नियम, 2019) के तहत रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करना होगा।
 - FEM (NDI) नियम, 2019 में यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में गैर-निवासीयों द्वारा निवेश को प्रवेश मार्गों, क्षेत्रीय सीमाओं या निवेश सीमाओं का पालन करना होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।
- **प्रतिबंधित क्षेत्र:** उन क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण की अनुमति नहीं है जहाँ **FDI प्रतिबंधित** है जैसे, जुआ और सट्टेबाजी, रियल एस्टेट व्यवसाय, **निधि कंपनी** (म्यूचुअल बेंफिट फंड कंपनी) आदि।
- **पूरक उपाय:** यह **भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI)** के इसी प्रकार के अद्यतन का पूरक है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि एक बार **FPI निवेशक द्वारा 10%** इक्विटी सीमा पार कर लेने पर वह अपनी होल्डिंग्स को FDI में परिवर्तित करने का विकल्प चुन सकता है।

नोट: **कोविड-19 महामारी** के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिये सरकार ने प्रेस नोट 3 (2020) के माध्यम से **FDI नीति 2017 में संशोधन** किया।

- इसमें यह प्रावधान किया गया था कि **भारत के साथ भूमि सीमा** साझा करने वाले देशों की **संस्थाएँ** या जनिके **लाभार्थी** ऐसे देशों से संबंधित हैं, केवल **सरकारी मार्ग** से ही भारत में **निवेश कर सकती हैं**।
- **प्रेस नोट 3** के प्रयोजन के लिये भारत **पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन (हांगकांग सहित), बांग्लादेश और म्यांमार** को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (सीमावर्ती देशों) के रूप में मान्यता दी गई।

FDI और FPI के बीच क्या अंतर है?

पैरामीटर	FDI (प्रत्यक्ष वदेशी निवेश)	FPI (वदेशी पोर्टफोलियो निवेश)
निवेश की प्रकृति	किसी वदेशी द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निवेश और व्यवसाय का स्वामित्व ।	स्टॉक और बॉण्ड जैसी वित्तीय परसंपत्तियों में अप्रत्यक्ष निवेश ।
निवेशक की भूमिका	सक्रिय भूमिका	निष्क्रिय भूमिका
नियंत्रण और प्रभाव	प्रबंधन और व्यावसायिक परिचालन पर उच्च स्तर का नियंत्रण ।	कंपनी के दिनांक-प्रतिदिन के परिचालन पर कोई प्रमुख नियंत्रण नहीं ।
संपदा प्रकार	वदेशी कंपनी की भौतिक परसंपत्तियाँ ।	स्टॉक, बॉण्ड और एकसर्वेज-ट्रेडेड फंड (ETF) जैसी वित्तीय परसंपत्तियाँ।
निवेश दृष्टिकोण और समय सीमा	दीर्घकालिक दृष्टिकोण। योजना से कार्यान्वयन	FDI की तुलना में यह कम अवधि का निवेश

उद्देश्य	तक प्रगतिकरण में वर्षों लग सकते हैं। दीर्घकालिक लाभ के लिये किसी देश में बाजार पहुँच या रणनीतिक हितों को सुरक्षित करना।	है। यह बाज़ार से जुड़े लाभ पर केंद्रित है। अल्पावधि रिटर्न और बाज़ार से जुड़े लाभ पर केंद्रित है।
जोखमि कारक	सामान्यतः अधिक स्थिर , लेकिन मेजबान देश की नीतियों, राजनीतिक वातावरण और नयियों से प्रभावित।	सामान्यतः परसिंपत्तकी कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण यह अधिक अस्थिर होता है।
प्रवेश और निकास	प्रवेश और निकास कठिन है।	तरलता और परसिंपत्तियों के व्यापक व्यापार के कारण प्रवेश और निकास सुलभ है।

FDI और FPI



प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

FDI:

- किसी दूसरे देश में स्थित व्यवसायों और संपत्तियों में विदेशी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश
- FDI के अंतर्वाह हेतु मार्ग:**
 - स्वचालित मार्ग:**
 - किसी पूर्व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है
 - गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 100% तक की अनुमति
 - सरकारी मार्ग:**
 - कुछ क्षेत्रों में या विशिष्ट सीमा से ऊपर के निवेश के लिये आवश्यक
 - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और RBI द्वारा प्रशासित

स्वचालित और सरकारी रूट के माध्यम से स्वीकृति के उदाहरण:

- बैंकिंग (निजी क्षेत्र): 49% तक (स्वायत्त) + 49% से ऊपर और 74% तक (सरकारी)
- रक्षा: 74% तक (स्वायत्त) + 74% से अधिक (सरकारी)
- हेल्थकेयर (ब्राउनफील्ड): 74% तक (स्वायत्त) + 74% से ऊपर (सरकारी)
- दूरसंचार सेवाएँ: 49% तक (स्वायत्त) + 49% से अधिक (सरकारी)

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB):

- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है
- FDI प्रस्तावों को संसाधित करने के लिये जिम्मेदार - विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIPP) द्वारा सुविधा प्रदान की गई
- सरकार की मंजूरी के लिये सिफारिशें करना

भारत (चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान) के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से FDI के लिये सरकार को पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

भारत के शीर्ष 5 FDI स्रोत (वित्त वर्ष 2022-23):

- मॉरीशस
- सिंगापुर
- अमेरिका
- नीदरलैंड
- जापान

FDI आकर्षित करने वाले भारत के शीर्ष क्षेत्र (वित्त वर्ष 2022-23):

- सेवा क्षेत्र
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
- व्यापार
- दूरसंचार
- ऑटोमोबाइल उद्योग



विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

FPI:

- वित्तीय संपत्तियों में विदेशी व्यक्तियों, संस्थानों या निधियों द्वारा किये गए निवेश
- फ्लाइंग बाय नाइट या हॉट मनी के नाम से जाना जाता है
- महत्वपूर्ण विशेषताएँ:**
 - स्वामित्व प्राप्त किये बिना वित्तीय संपत्तियों की खरीद होती है
 - निष्क्रिय निवेश वृष्टिकोण
 - निवेशक लाभांश, ब्याज और पूंजी वृद्धि के माध्यम से रिटर्न अर्जित करते हैं
- उदाहरण:**
 - स्टॉक, बॉण्ड आदि।
- नियामक संस्था:**
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)

FDI और FPI के बीच अंतर

विशेषताएँ	FDI	FPI
निवेश की प्रकृति	दीर्घकालिक	अल्पकालिक
उद्देश्य	दूसरे देश में दीर्घकालिक निवेश	निवेश पर त्वरित रिटर्न अर्जित करना
नियंत्रण	महत्वपूर्ण (निवेशित इकाई पर)	नहीं या सीमित नियंत्रण
निवेश	मूर्त संपत्ति (जैसे, कारखाने, भवन)	वित्तीय संपत्ति (जैसे, स्टॉक, बॉण्ड)
रिटर्न्स	लाभ, लाभांश और पूंजी अभिमूल्यन	लाभांश, ब्याज, और पूंजी अभिमूल्यन
नीति विनियम	सरकार की नीतियाँ और क्षेत्र-विशिष्ट नियम	लचीले नियम और आसान प्रवेश/निकास
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास	अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है और शेयर बाजार को प्रभावित करता है



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2021)

- वदिशी मुद्रा संपरविरतनीय बॉण्ड
- कुछ शर्तों के साथ वदिशी संस्थागत नविश

3. वैश्विक नकिषेपागार (डिपॉजिटरी) प्राप्ति
4. अनविशी वदिशी जमा

उपर्युक्त में से कसि/कनिहें वदिशी प्रत्यक्ष नविश में सम्मलिति कयि जा सकता है/कयि जा सकते हैं?

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 3
- (c) 2 और 4
- (d) 1 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न: भारत में प्रत्यक्ष वदिशी नविश के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सी उसकी प्रमुख वशिषता मानी जाती है? (2020)

- (a) यह मूलतः कसि सूचीबद्ध कम्पनी में पूँजीगत साधनों द्वारा कयि जाने वाला नविश है ।
- (b) यह मुख्यतः ऋण सृजति न करने वाला पूँजी प्रवाह है ।
- (c) यह ऐसा नविश है जसिसे ऋण-समाशोधन अपेक्षति होता है ।
- (d) यह वदिशी संस्थागत नविशकों द्वारा सरकारी प्रतभितियों में कयि जाने वाला नविश है ।

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rbi-s-framework-for-reclassification-of-fpi-to-fdi>

